भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1078

जिसका उत्‍तर 3 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाना है ।

**.....**

**जल भंडारण क्षमता**

**1078. श्री राम जेठमलानी :**

 क्‍या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि देश में प्राकृतिक स्रोतों से जल की उपलब्‍धता देश की जल के उपयोग की आवश्‍यकता से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्‍य क्‍या हैं ;

(ग) क्‍या यह भी सच है कि देश में जल-भंडारण की क्षमता को बढ़ाकर जल-उपयोग की आवश्‍यकता पूरी की जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है तथा अभी देश में जल भंडारण क्षमता कितनी है ?

**उत्‍तर**

**जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)**

1. एवं (ख) देश में औसत वार्षिक जल उपलब्‍धता का आकलन 1869 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) किया गया है । स्‍थलाकृति, जल विज्ञानीय और अन्‍य बाधाओं के कारण उपयोज्‍य जल की मात्रा का अनुमान लगभग 1123 बी सी एम है जिसमें 690 बी सी एम सतही जल और 433 बी सी एम पुनर्भरणीय भूमि जल शामिल है । समेकित जल संसाधन विकास संबंधी राष्‍ट्रीय आयोग (एन सी आई डब्‍ल्‍यू आर डी ) ने वर्ष 1999 की अपनी रिपोर्ट में आकलन किया था कि वर्ष 2025 और 2050 तक जल की वार्षिक आवश्‍यकता क्रमश: लगभग 843 बी सी एम और 1180 बी सी एम होगी।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्‍य सरकारों द्वारा भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं जैसे बांधों, चैक बांधों, खेत के तालाबों का निर्माण करना । भारत सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए त्‍वरित संचाई लाभ कार्यक्रम तथा जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण और पुनरूद्धार जैसे कार्यक्रमों के तहत तकनीकी और वित्‍तीय सहायता प्रदान करके राज्‍य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है । इसके परिणामस्‍वरूप देश में भंडांरण क्षमता लगभग 253.388 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) तक बढ़ गयी है । इसके अतिरिक्‍त संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा निर्माणाधीन तथा निर्माण के लिए विचाराधीन बांधों की सक्रिय भंडारण क्षमता क्रमश: 50.959 बी सी एम तथा 109.673 बी सी एम है।

\*\*\*\*\*